राजस्थान सरकार,
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः रा.आ./नियु–न्या0/गैर न्या0 सदस्य/2018/ 66 दिनांकः 13/06/2018

विज्ञप्ति

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत गठित राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग राजस्थान, जयपुर एवं सर्किट बैन्चों में न्यायिक/गैर न्यायिक सदस्यों के 4 पदों हेतु पूर्णकालिक आधार पर की जाने वाली नियुक्ति के सम्बन्ध में न्यायिक सदस्यों के पद हेतु न्यायिक पृष्ठभूमि रखने वाले इच्छुक व्यक्तियों से एवं गैर न्यायिक सदस्यों के पद हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं, रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.सं.	राज्य आयोग	पद नाम
1.	राज्य आयोग	न्यायिक
2.	राज्य आयोग	न्यायिक
3.	राज्य आयोग	गैर न्यायिक
4.	राज्य आयोग	गैर न्यायिक
	योग	**04**

यह नियुक्ति उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा–16 की उपधारा 1(A) के अन्तर्गत गठित चयन समिति की अभिशंषा पर राज्य सरकार द्वारा की जावेगी। इसके लिये चयन समिति द्वारा उम्मीदवारों को साक्षात्कार हेतु भी बुलाया जा सकेगा। साक्षात्कार के लिए यात्रा व्यय अथवा अन्य किसी प्रकार के व्यय का पुनर्भरण नही किया जावेगा।

न्यायिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति से तात्पर्य जिला न्यायालय या इसके समकक्ष अधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रुप में कम से कम 10 वर्ष तक कार्य करने का ज्ञान और अनुभव रखने वाले व्यक्ति से हैं।

राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग,राजस्थान के न्यायिक सदस्य/गैर न्यायिक सदस्य का मुख्यालय जयपुर रहेगा। सदस्य को मुख्यालय सहित अध्यक्ष, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, राजस्थान,जयपुर द्वारा गठित सर्किट बैंच में भी निर्देशानुसार सुनवाई/बैठक करनी होगी।

नियुक्ति हेतु निम्नांकित योग्यताएँ धारण करने वाले ऐसे व्यक्ति ही पात्र होंगे जोः–

1. आवेदन की अन्तिम तिथि को 35 वर्ष की उम्र से कम उम्र के ना हो,
2. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की ड़िग्री रखता/रखती हैं और
3. योग्यता, सत्यनिष्ठा और ख्याति के व्यक्ति हों और अर्थशास्त्र, विधि, वाणिज्य, लेखा–कर्म, उद्योग, लोक मामले, या प्रशासन से संबंधित समस्याओं को निपटानें में पर्याप्त ज्ञान एवं कम से कम 10 वर्षों का अनुभव रखते हों।

ऐसे व्यक्ति सदस्य के रुप में नियुक्त किये जाने के लिये अयोग्य होंगे यदि वहः–

(क) किसी अपराध के लिये, जो राज्य सरकार के अभिमत में नैतिक अधमता में शामिल होता है, में दोष सिद्ध एवं कारावास के लिये दण्ड़ादेश दिया गया है, या

(ख) अघोषित दिवालिया है, या

(ग) विकृत मस्तिष्क का है और सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया है, या

(घ) सरकार या किसी निगमित निकाय/सरकार द्वारा स्वीकृत एवं नियंत्रित की सेवा से हटाया या पदच्युत किया गया है, या

(ड़) राज्य सरकार के अभिमत में ऐसा वित्तीय या अन्य हित रखता/रखती है, जिससे उसके द्वारा सदस्य के रुप में कार्य निर्वहन से प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, या

(च) ऐसी अन्य अयोग्यताओं को रखता/रखती हो जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गई है।

राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के सदस्य हेतु चयनित व्यक्ति लाभ के किसी पद पर कार्यरत नहीं रहेगा, ना ही चयन के पश्चात् लाभ का पद ग्रहण करेगा। पूर्णकालिक ऐसे सदस्य जो कि न्यायिक सेवा से सेवानिवृत्त हो चुके है, को सदस्य नियुक्त होने की स्थिति में नियमानुसार Last Salary Drawn Minus (-) Pension के आधार पर/ राज्य सरकार के दिशा निर्देशानुसार मानदेय देय होगा ।

यह नियुक्ति अधिकतम 5 वर्ष की अवधि अथवा 67 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक, जो भी पहले हो, के लिये होगी। इच्छुक व्यक्ति निम्नलिखित विवरण सहित बायोडेटा तीन प्रतियों में आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर तीन पासपोर्ट साइज के फोटो सहित आवेदन की अन्तिम तिथि दिनांक **13.07.2018** के कार्यालय समय समाप्ति तक **"रजिस्ट्रार, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, हैण्डलूम हवेली, अशोक मार्ग, सी–स्कीम, राजस्थान, जयपुर"** को लिफाफे के ऊपर बांयी ओर **"राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में न्यायिक/गैर न्यायिक सदस्य की नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र"** अंकित करते हुये ड़ाक से भिजवाना सुनिश्चित करें: –

वर्तमान पासपोर्ट साईज फोटो

पूरा नाम स्वच्छ व सुपाठ्य अक्षरों में (हिन्दी में)

1. पूरा नाम स्वच्छ व सुपाठ्य अक्षरों में (अंग्रेजी–केपिटल लेटर्स में)
2. जन्म तिथि (कृपया मैट्रिक/सैकेन्ड्री प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।)
3. निवास स्थान एवं पत्र व्यवहार का पूर्ण पता।
4. टेलीफोन नम्बर, फैक्स नम्बर, ई–मेल आई.डी. यदि कोई हो।
5. सैकेन्ड्री एवं इससे उच्चतर उत्तीर्ण परीक्षाओं के विवरण मय वर्ष, श्रेणी, अंको का प्रतिशत और बोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम (कृपया प्रमाण पत्रों की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।)
6. उम्मीदवार जिस भाषा को लिखने व पढ़ने में प्रवीण हो, उसका नाम।
7. क्या उम्मीदवार के एक से अधिक जीवित पति/पत्नी है ?
8. क्या उम्मीदवार राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के सदस्य के रुप में नियुक्त किये जाने हेतु उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 16(1) में वर्णित अयोग्यताओं में से किसी भी अयोग्यता के अंतर्गत आते हैं ? यदि हां तो विवरण दें।
9. क्या उम्मीदवार को कभी किसी न्यायालय द्वारा किसी अपराध के लिये अभियोजन किया गया है, या गिरफ्तार किया गया हैं, या प्रतिबंध पर छोड़ा गया है, या दोषसिद्ध किया गया है? यदि हाँ तो पूर्ण विवरण दें।
10. क्या उम्मीदवार को किसी लोकसेवा आयोग द्वारा परीक्षा में बैठने/चयन हेतु प्रतिबंधित किया गया है अथवा अयोग्य ठहराया गया हैं? यदि हाँ तो विवरण दें।

11. क्या उम्मीदवार को किसी बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा में बैठने/चयन हेतु प्रतिबंधित किया गया है अथवा अयोग्य ठहराया गया है? यदि हाँ तो विवरण दें। क्या इस संबंध में कोई कार्यवाही लंबित है या प्रारम्भ की जाना प्रस्तावित हैं? यदि हाँ तो विवरण दें।
12. यदि उम्मीदवार राज्य का सेवानिवृत्त कर्मचारी हो तो उसके द्वारा धारित पद, नियुक्ति एवं सेवानिवृत्त की तिथियां, विभाग का नाम, सेवा काल में हुई अनुशासनात्मक कार्यवाही एवं उसके परिणाम का विवरण दें।
13. अन्य कोई सूचना जो उम्मीदवार देना चाहें।

जो इच्छुक व्यक्ति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते समय सेवा में हैं, वे अपने प्रार्थना पत्र उचित माध्यम से प्रेषित करें। नियत समय के पश्चात् प्राप्त होने वाले, बिना दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति, बिना फोटोग्राफ, बिना हस्ताक्षर एवं अपूर्ण आवेदन पत्र, बिना किसी सूचना के निरस्त कर दिये जावेंगे।

13/6/2018
(राजेश चन्द्र गुप्ता)
रजिस्ट्रार,
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक 67-76
दिनांक 13/06/2018

प्रतिलिपिः–

1. सचिव, माननीया मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान।
2. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, अध्यक्ष, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, राजस्थान, जयपुर।
4. मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. माननीय रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर एवं जयपुर ।
6. प्रमुख शासन सचिव महोदय, खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. निजी सहायक, रजिस्ट्रार, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, राजस्थान, जयपुर।
8. प्रोग्रामर, खाद्य विभाग, राजस्थान, जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करावें।
9. राजस्थान राज्य के समस्त जिला एवं सैशन न्यायाधीश, समस्त अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच, समस्त पारिवारिक न्यायालय, समस्त श्रम न्यायालय एवं जिला न्यायाधीश स्तरिय प्राधिकरण एवं जिला कलक्टर, समस्त राजस्थान, को नोटिस बोर्ड पर चस्पा एवं व्यापक प्रचार–प्रसार व बार एसोसियेशन को भेजने हेतु ।
10. जनसम्पर्क अधिकारी, खाद्य विभाग, राजस्थान, जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त **विज्ञप्ति का प्रकाशन** तत्काल कराए जाने हेतु सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर से सम्पर्क कर शीघ्र कार्यवाही करावें।
11. रक्षित पत्रिका।

13/6/2018
(राजेश चन्द्र गुप्ता)
रजिस्ट्रार,
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग,
राजस्थान, जयपुर